कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -I, म.प्र.
भोपाल शाखा, 53 अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल – 462011
दूरभाष : 0755-2554821, 2764037 फैक्स: 0755-2557452 ई-मेल: srdagaebhopal@cag.gov.in

सत्यमेव जयते

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth
In Public Interest

क्रमांक/नि.वि.1/समूह-2/डी- 175 दिनांक 05.05.2022

प्रति,

समस्त वरिष्ठ संभागीय लेखा अधिकारी/
संभागीय लेखा अधिकारी/संभागीय लेखापाल,
जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अनुज्ञप्ति सभी संभाग

विषयः- लंबित फॉर्म-51 के संबंध में ।

संदर्भ:- इस कार्यालय के पत्र क्रं.नि.वि.1/स-2/डी-2260 दिनांक 12.01.2021, 295 दिनांक 21.06.2021, 1567 दिनांक 02.12.2021 एवं 1950 दिनांक 17.02.2022

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसके द्वारा लंबित फार्म-51 अद्यतन तैयार कर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

इस संबंध में लेख है कि जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के विभिन्न संभागों से फार्म-51 प्राप्त न होने की स्थिति में रेमिटेन्स/चैक्स के अंतर्गत लंबित राशियों का समायोजन नहीं हो पा रहा है । ऐसे संभाग जो बंद हो चुके है किन्तु फार्म-51 लंबित हैं, के संबंध में संबंधित संभाग जिसमें कि इनका विलय/पुनर्विनियोजन हुआ है, को भिजवाने हेतु विशेष रूप से प्रयत्न करें ।यह भी उल्लेखनीय है कि, फॉर्म-51 जो कि मासिक लेखे का महत्वपूर्ण भाग है, का निराकरण, संभागीय लेखापालों/ संभागीय लेखा अधिकारियों के परफार्मेन्स को प्रदर्शित करता है ।

अतः, पुनः सभी वरिष्ठ संभागीय लेखा अधिकारी/संभागीय लेखा अधिकारी/संभागीय लेखापालों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ संभागों के लंबित फार्म-51 अद्यतन तैयार कर, अविलम्ब इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि लेखांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो सके ।

उपरोक्त कार्य में व्यक्तिगत रूचि लेकर प्राथमिकता प्रदान करें ।

इसे वरिष्ठ उप महालेखाकार (नि.ले) के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

संलग्न: लंबित फॉर्म-51 की संभागवार सूची

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नि.वि.-1